



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-06062026-273219
CG-TL-E-06062026-273219

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2787]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2026/ज्येष्ठ 15, 1948

No. 2787]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2026/JYAISTHA 15, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

सिकंदराबाद, 2 जून, 2026

का.आ. 2881(अ).— भारत सरकार, रेल मंत्रालय की अधिसूचना में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 06 मई 2026 को एसओ 2267 (ई) के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी और जिसे रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37ए) के अंतर्गत जारी किया गया था, जिसमें तिममापुर और शादनगर स्टेशनों के बीच समपार संख्या 27 के स्थान पर "ऊपरी सड़क पुल" के निर्माण को 'विशेष रेलवे परियोजना' के रूप में" घोषित किया गया था, रेल मंत्रालय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करती हैः.

क्र.सं.	के रूप में प्रकाशित	इस प्रकार पढ़ा जाए
1	रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए 'विशेष रेलवे परियोजना' के रूप में" दक्षिण मध्य रेलवे के	रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए 'विशेष रेलवे परियोजना' के रूप में" दक्षिण मध्य रेलवे के हैदराबाद

हैदराबाद मंडल के सिकंदराबाद-धोन सेक्शन में तिममापुर और शादनगर स्टेशनों के बीच समपार संख्या 27 के स्थान पर "ऊपरी सड़क पुल" के निर्माण के लिए तेलंगाना राज्य के महबूबनगर जिले में भूमि अधिग्रहण अधिसूचित करती है; यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी.	मंडल के सिकंदराबाद-धोन सेक्शन में तिममापुर और शादनगर स्टेशनों के बीच समपार संख्या 27 के स्थान पर "ऊपरी सड़क पुल" के निर्माण के लिए तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले में भूमि अधिग्रहण अधिसूचित करती है; यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी.
---	--

[फा. सं. Y/GS/LC.27/ROB/eGazette/2026/37A/Corr]

एल .सांबशिव राव, मुख्य परियोजना प्रबंधक (गति शक्ति/II)

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

CORRIGENDUM

Secunderabad, the 2nd June, 2026

S.O. 2881(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Railways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 06th May 2026 vide S.O. 2267 (E) issued under clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, declaring "Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 27 between Timmapur and Shadnagar Stations" as a Special Railway Project, the Ministry of Railways hereby makes the following corrigendum as detailed below:

S.No.	Published as	To be read as
1	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Road Over Bridge in lieu of LC No. 27 between Timmapur and Shadnagar Stations in Secunderabad - Dhone section of Hyderabad Division over South Central Railway " as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Telangana in the District of Mahabubnagar for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Construction of Road Over Bridge in lieu of LC No. 27 between Timmapur and Shadnagar Stations in Secunderabad - Dhone section of Hyderabad Division over South Central Railway" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Telangana in the District of Ranga Reddy for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. Y/GS/LC.27/ROB/eGazette/2026/37A/Corr]

L. SAMBASIVA RAO, Chief Project Manager(Gati Shakti/II)